# नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली योजना को मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, विकास प्राधिकरणों, नगरीय निकायों में लागू करने की प्रक्रिया

संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन

**वित्त विभाग**

वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक F. 9-3/2003/नियम चार भोपाल, दिनांक 22-5-2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

**विषयः—राज्य शासन के अधीन दिनांक 01-01-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में।**

**सन्दर्भः**—वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 29-12-2005.

उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप के द्वारा राज्य शासन के नियंत्रणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों जिनमें राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली दिनांक 01-01-2005 के पूर्व प्रचलित थी, के दिनांक 01-01-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू की गई थी (प्रति संलग्न)।

वित्त विभाग के उपरोक्त आदेशों के अनुरूप इन संस्थाओं में परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू की जाकर कर्मचारियों से उनके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान के रूप में काटा जा रहा होगा, साथ ही योजना में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नियोक्ता अंशदान भी जमा किया जा रहा होगा।

वर्तमान में राज्य शासन के द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है एवं कर्मचारियों के अंशदान को नियोक्ता अंशदान सहित प्रतिमाह निवेश के लिए फण्ड मैनेजरों को उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी अनुरूप अंशदायी पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में किए जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:—

1. अंशदायी पेंशन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो विभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा. नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व कर्मचारियों के अंशदान की कटौती, नियोक्ता अंशदान सम्मिलित कराने एवं रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी को समय पर भुगतान किए जाने पर नियंत्रण रखना होगा।

2. स्वशासी संस्थाओं में अंशदायी पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत विवरण संलग्न टीप में दर्शाया गया है. तद्नुसार समस्त विभाग अपने अधीनस्थ स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्रधिकरणों/नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही 30 जून 2010 तक अनिवार्यत: सम्पन्न कर लें ताकि माह जुलाई पेड अगस्त के वेतन से राशि का निवेश किया जाना संभव हो सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग.



पृ. क्रमांक एफ/9-3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 20-5-2010

**प्रतिलिपि:—**

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा, भोपाल.
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल.
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
16. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,

17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधं अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल.

18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल.

19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन म

20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.

21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल.

22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल.

23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ

24. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी

25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित.

(अजय चौबे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त